22

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 2017 III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3378

श्री पी.के. तिवारी (अ.) द्वारा आज दि. 18-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

18-9-17
C.R. 29.09.17

1. रामपाल सिंह
2. शिशुपाल सिंह
   पुत्रगण कलियान जाति ठाकुर
   निवासीगण–ग्राम एण्डोरी, तहसील गोहद
   जिला भिण्ड म.प्र.
3. महेश सिंह पुत्र गजराज सिंह आयु 43 वर्ष
   निवासी–ग्राम एण्डोरी, परगना गोहद
   जिला भिण्ड म.प्र.

..........**निगरानीकर्ता / आवेदकगण**

बनाम

1. करन सिंह पुत्र गजराज सिंह
   निवासी–ग्राम एण्डोरी, परगना गोहद
   जिला भिण्ड म.प्र. — मूल अनावेदक
2. मानसिंह
3. जुलाल सिंह
   पुत्रगण लक्ष्मण सिंह निवासी–ग्राम एण्डोरी
4. जगदीश सिंह
5. विजेन्द्र सिंह
   पुत्रगण गजराज सिंह
6. नाथू सिंह पुत्र चिम्मनसिंह
   निवासी–ग्राम एण्डोरी
7. आशादेवी बेबा गोकरन
   निवासी–ग्राम एण्डोरी तहसील गोहद जिला
   भिण्ड म.प्र. — तरतीबी अनावेदक

..........**प्रतिनिगरानीकर्ता / अनावेदकगण**

2017 SEP-194

निगरानी अंतर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.2017 द्वारा पारित अपर कलेक्टर जिला भिण्ड प्रकरण क्रमांक 194/15–16 निगरानीमाल

महोदय,

श्रीमानजी के समक्ष निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है : –

प्रकरण के तथ्य :–

1. यहकि, करन सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी–ग्राम एण्डोरी पगरना गोहद द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर ग्राम एण्डोरी में स्थित भूमि के संबंध में बंटवारा किये जाने का निवेदन किया जो प्रकरण क्रमांक 3/2015–16/अ–27 पर दर्ज हुआ जिसमें नायब तहसीलदार महोदय द्वारा प्रश्गन भूमि के संबंध में फर्द बनाने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्ता को लाभ पहुंचाने की नियत से एक पक्षीय रूप से फर्दें तैयार की गई जिस पर आवेदकगण /निगरानीकर्तागण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से विचार में लिये अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 11.03.2016 को आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा त्रुटिवश अपर कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई जो प्रकरण क्रमांक 194/2015–16 निगरानी पर दर्ज हुई एवं दिनांक 05.08.2017 के द्वारा निराकृत हुई। जिससे व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

2017 SEP-195

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग/भिण्ड/भूरा/2017/3378

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण की ग्राह्यता पर विस्तृत तर्क प्रस्तुत किये गये। 2– यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 194/15–16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि अनावेदक करन सिंह पुत्र गजराज सिंह द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष धारा 178 म.प्र.भू–राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम एण्डोरी में स्थित भूमि के संबंध में बंटवारे का निवेदन किया। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क. 3/अ27/15–16 दर्ज कर प्रश्नगत भूमि पर फर्द बनाने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा विधिवत सूचना ना दी जाकर एकपक्षीय रूप से फर्दें तैयार की गई । उक्त एकपक्षीय फर्दों पर आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति पर नायब तहसीलदार द्वारा पूर्ण रूप से विचार किये बिना दिनांक 11.03.16 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा त्रुटिवश अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसे अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 05.08.17 को अस्वीकार किया गया। मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.03.16 में आवेदक की फर्द बंटवारे के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति पर आंशिक रूप से विचार करते हुये मौजा	

पटवारी द्वारा पूर्व में तैयार की गई फर्द को उभय पक्षों के समक्ष सत्यापन हेतु राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया है। उक्त फर्द सभी खातेदारों की सहमति से तैयार नहीं की गई है तथा प्रस्तुत आपत्तियों का विधिवत निराकरण नहीं किया गया है। जबकि फर्द तैयार करते समय खातेदारों को विधिवत सूचना जारी करना चाहिए तथा बटवारों पर पक्षकारों की आपत्तियों को सुनना चाहिए तथा जमीन की किस्म, उपजाऊ शक्ति, जमीन की स्थिति, बाजारू कीमत, सिंचाई आदि का समुचित ध्यान रखना चाहिए। तहसीलदार द्वारा मौजा पटवारी से उपरोक्त फर्द तैयार कराते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा आदेश दिनांक 11.03.16 के द्वारा तैयार फर्द को खातेदारों की उपस्थिति में सत्यापन का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा भी आदेश दिनांक 05.08.17 पारित करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि विधिक भूल है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.17 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 11.03.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी परगना तह. गोहद को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि खातेदारों को विधिवत सूचना जारी करने तथा बटवारों पर पक्षकारों की आपत्तियों को सुनने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें।

सदस्य